Speed Post

No 1/12/2014-वीएस(सीआरएस)/306

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय / MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066 Tele-fax: 26104012
दूरभाष-26177330, फैक्स:26104012 ई-मेल-rkgautamiss.rgi@nic.in,
drg.crs.rgi@censusindia.gov.in, ajayk.rgi@censusindia.gov.in दिनांक: 29.12.2014

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु

विषय: जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार जन्म रिकार्ड में नाम दर्ज करने में बरती जाने वाली सावधानियां ।

महोदय,

आप जानते ही हैं कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 14 के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहां जन्म का रजिस्ट्रेशन बिना किसी नाम के हुआ हो, जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देता है। ऐसा देखा गया है कि जन्म रिकार्ड में नाम की प्रविष्टि करते समय कोई सावधानी नहीं बरती जाती है जिसके कारण बाद में रजिस्ट्रार को नाम में परिवर्तन अथवा संशोधन संबंधी अनुरोध प्राप्त होने पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

2. आप पहले से ही जानते हैं कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, नाम में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है तथापि किसी प्रविष्टि के वास्तव में गलत पाए जाने अथवा धोखाधड़ी या अनुचित रूप से दर्ज किए जाने के मामले में संशोधन/सुधार की अनुमति देता है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को आवेदक की ओर से नाम जोड़ने का अनुरोध प्राप्त होने पर कतिपय सावधानियां बरतने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश/निदेश जारी करें। रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कार्यकर्ताओं के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाएं:

Sh. Banjare

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/
"Ensure Registration of Every Birth and Death"

- यदि नवजात का नाम तय नहीं हुआ है तो जन्म के रजिस्ट्रेशन के समय घरेलू नाम या प्यार से पुकारे जाने वाले नाम (उदाहरणार्थ मुन्ना, मुन्नी, गुड़िया, पप्पू, पप्पी,......... का बच्चा इत्यादि) नहीं लिखा जाना चाहिए।
- नवजात के जन्म के रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे का नाम तय न होने के मामले में जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के नाम के कॉलम के सामने ....(डैश) लगाकर बिना नाम के जारी किया जाना चाहिए।
- निर्धारित प्रक्रिया-
    - बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन की तारीख से 12 महीने तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के जन्म रिकार्ड में दर्ज किया जा सकता है।
    - विलम्ब शुल्क सहित जन्म रिकार्ड में जोडने संबंधी नियमों में रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष की अवधि की छूट दी गई है।
- बच्चे का नाम एक बार जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज कर दिए जाने के पश्चात इसे बदला नही जा सकता। नाम तय हो जाने के पश्चात उनसे नाम दर्ज करने के लिए कहा जाना चाहिए।
- जन्म रिकार्ड में बच्चो का नाम दर्ज करने संबंधी अनुरोध स्वीकार करते समय बच्चो का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए ताकि वर्तनी सबंधी अशुद्धियों की संभावना कम से कम हो।
- यदि नाम किसी परवर्ती तारीख अर्थात जब बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा हो, तब जोड़ा जाए तो विद्यालय प्रमाण पत्र/रिकार्ड की प्रति प्राप्त की की जानी चाहिए/नाम के रजिस्ट्रेशन के समय दी जानी चाहिए। यह विद्यालय के रिकार्ड से सत्यापित होना चाहिए।
- बच्चे के नाम के रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे के माता-पिता द्वारा/से इस आशय का वचन (स्व घोषणा) दिया जाना/ले लिया जाना चाहिए कि नाम को भविष्य में बदला नही जाएगा।

3. उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए आपसे रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी प्राधिकारियों के लिए उपर्युक्त निर्देश जारी करने और आम जनता के उपयोग की सुविधा के लिए इसे रजिस्ट्रेशन यूनिट के उपयुक्त स्थान पर लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया जाता है ताकि जन्म रिकार्ड में सही नाम दर्ज किया जाए और संशोधनों/त्रुटियों की संभावनाओं को कम से कम किया जा सके। इस संबंध मे की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

भवदीय,

(आर के. गौतम)
उप महारजिस्ट्रार

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/
"Ensure Registration of Every Birth and Death"